रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012025-260560
CG-DL-E-28012025-260560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2025/माघ 8, 1946**
No. 494]	**NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2025/MAGHA 8, 1946**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

का.आ. 498(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन आयकर निदेशालय (प्रणाली) के निम्नलिखित कम्प्यूटर संसाधनों को, उनकी संबद्ध निर्भरताओं सहित, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित प्रणाली घोषित करती है:

(क) टीडीएस रीकॉन्सीलिएशन अनेलिसिस एवं करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम (ट्रेसेज) वेब पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्धारण अधिकारी वेब पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, केन्द्रीकृत प्रक्रमण प्रकोष्ठ (स्रोत पर कर कटौती) एप्लीकेशन और उसका डेटाबेस तथा केन्द्रीकृत प्रक्रमण प्रकोष्ठ (स्रोत पर कर कटौती) के अभिलेख प्रबंधन के लिए डेटाबेस।

(ख) ई-फाइलिंग फ्रंट ऑफिस वेब पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, एकीकृत ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर एप्लीकेशन और इसका डेटाबेस, बैक ऑफिस वेब पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकीकृत ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क मास्टर डेटाबेस।

(ग) इंकम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) और इसका डेटाबेस, स्थायी खाता संख्या मास्टर डेटाबेस तथा इंकम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन का कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) मास्टर डेटाबेस।

(घ) इनसाइट, रिपोर्टिंग, अनुपालन और वार्षिक सूचना प्रणाली वेब पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट इनसाइट का डेटाबेस।

2. संरक्षित प्रणालियों तक भूमिका आधारित पहुंच रखने वाले अधिकृत कार्मिक हैं:

(क) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत आयकर निदेशालय (सिस्टम) का कोई भी नामित कर्मचारी जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा संरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो;

(ख) संविदागत प्रबंधित सेवा प्रदाता या तृतीय पक्ष विक्रेता का कोई भी दल सदस्य जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयकर निदेशालय (प्रणाली) द्वारा आवश्यकता-आधारित पहुंच के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो; तथा

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयकर निदेशालय (प्रणाली) द्वारा मामले-दर-मामला आधार पर लिखित रूप में प्राधिकृत कोई भी परामर्शदाता, विनियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक और हितधारक।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. एन-24015/4/2024-सीसी]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

S.O. 498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) ofsection 70 of the InformationTechnology Act, 2000 (21 of 2000), the CentralGovernment hereby declares the following computer resources of Directorate of Income Tax (Systems) under Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, along with their associated dependencies to be protected systems for the purpose of the said Act:

(a) Tax Deducted at Source Reconciliation Analysis and Correction EnablingSystem (TRACES) Web Portal Infrastructure, Assessing Officers Web PortalInfrastructure, Centralized Processing Cell (Tax Deducted at Source) Application & its Database and Database for Records Management ofCentralized Processing Cell (Tax Deducted at Source).

(b) e-filing Front Office Web Portal Infrastructure, Integrated e-filing &Centralised Processing Centre Application and its Database, Back OfficeWeb Portal Infrastructure and Tax Information Network Master Database ofIntegrated e-filing & Centralised Processing Centre.

(c) Income Tax Business Application (ITBA) & Its Database, PermanentAccount Number Master Database and Tax Deduction and CollectionAccount Number (TAN) Master Database of Income Tax Business Application.

(d) Insight, Reporting, Compliance & Annual Information System Web PortalsInfrastructure and its Application and Database of Project Insight.

2. The authorised personnel having the role based access to protected systemsare:

(a) any designated employee of the Directorate of Income Tax (Systems)under Central Board of Direct Taxes authorized in writing by the Directorateof Income Tax (Systems) under Central Board of Direct Taxes to access the protected system;

(b) any team member of contractual managed service provider or third-partyvendor who have been authorised in writing by the Directorate of Income Tax(Systems) under Central Board of Direct Taxes for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholderauthorised in writing by the Directorate of Income Tax (Systems) underCentral Board of Direct Taxes on case to case basis.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in theOfficial Gazette.

[F. No. N-24015/4/2024-CC)]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA